

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 263 सन 2019

अनवान :-

1. कृष्णलाल पुत्र रामजस जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

2. बिलनाराम पुत्र हरिराम जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
3. जयलाल पुत्र हरिराम जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
4. दुल्हाराम पुत्र हरिराम जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
5. सुमित्रा देवी पुत्री हरिराम जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

असल प्रतिवादी

7. दलीप पुत्र रामजस जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
8. बलराम पुत्र रामजस जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
9. भूपसिंह पुत्र रामजस जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
10. शिशपाल पुत्र रामजस जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
11. अमीलाल पुत्र भूराराम जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
12. खेताराम पुत्र हंसराम जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
13. दयाराम पुत्र हंसराम जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
14. जगदीश पुत्र हंसराम जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
15. हजारीराम पुत्र हरीराम जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
16. भूपसिंह पुत्र हरीराम जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
17. चिडिया पुत्री हरीराम जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
18. चन्दोदेवी पुत्री हरीराम जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

तरतीबी प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 18.10.2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 649/615 की कुल 21.9670 हैक् भूमि के वादी के दादा हंसराज खातेदार काश्तकार थे।

वादी के दादा हंसराज फोट हो चुके है उसके तीन लडके रामजस, हंसराज, अमीलाल हुए जिसमें से रामजस व हंसराज फोट हो चुके है रामजस के वारिसान वादी व प्रतिवादी संख्या 6 ता 9 व हंसराज के वारिसान प्रतिवादी संख्या 11 ता 13 है हंसराज की एक लडकी गौरादेवी है जिसके वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ,14 ता 17 है। वाद भूमि हंसराज के देहान्त होने पर उनके विधिक उत्तराधिकारीयों के भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो चुकी है।

प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 जो गौरादेवी के वारिसान है जिन्होंने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग अपने भाईया वादी एवं प्रतिवादी संख्या 6 ता 13 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 6 ता 17 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 17 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 ता 17 के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,6 ता 17 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 6 ता 17 तरतीबी प्रतिवादी होने के कारण तल्बी की आवश्यकता नहीं तथा प्रतिवादी संख्या 1 विरुद्ध किसी प्रकार की रिलिफ नहीं है प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 ने निवेदन किया की उन्होंने अपने हक हिस्सा की भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 6 ता 13 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 6 ता 13 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 6 ता 13 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की

सुश्री श्वेता कोचर
अधिकारी
नोहर

जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं मजमें आम की सहमति/जानकारी के आधार पर वाद का निस्तारण फरमावे।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल/आपसी सहमति मजमे आम में होने के कारण अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं रही।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान - वर्ष -2021 कैम्प कोर्ट में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की प्रकरण में उभयपक्षों की सहमति पेश हो चुकी है अर्थात वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल/सहमति पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है तथा अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काशतकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद न्यायायिक दृष्टान्तों एवं आपसी सहमति /मजमे आम की सहमति /जानकारी के आधार पर वाद वादी डिक्री फरमाया जावे।

हमने उभयपक्षों को सुना पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 7 जेएसएन के खाता संख्या 63/106 की कुल 6.7420हैक् एवं रोही मौजा 2 जेएसएन के खाता संख्या 63/98 की कुल 0.3290हैक् मं से 1/3 हिस्सा यानी 0.109हैक् व रोही मौजा चक 1 जेएसएन के खाता संख्या 106/198की कुल 6.5400हैक् मं से 1/3 हिस्सा यानी 2.180हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।


वादी का कथन है कि वाद भूमि उसके पूर्वज हंसराज के नाम से दर्ज थी हंसराज एवं उनके दो पुत्रों रामजस एवं हंसराज एवं पुत्री गौरादेवी के देहान्त होने पर विरास्तन से उनके विधिक वारिसान के नाम भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो चुकी है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 6 ता 13 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चर्चा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐतराज नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 649/615 की कुल 21.9670हैक् मं वादी व प्रतिवादी संख्या 6 ता 9 बहिब 527-1/3 हिस्सा, एवं प्रतिवादी संख्या 10 अकेला 527-1/3 हिस्सा, एवं प्रतिवादी संख्या 11 ता 13 बहिब 527-1/3 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 एव तरतीबी प्रतिवादी संख्या 14 ता 17 बहिब 156-1/3 हिस्सा के खातेदार काशतकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दपतर हो।

निर्णय आज दिनांक 18.10.2021 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021 मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

नहरिया हनुमानगढ़

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष- 2021

कैम्प कोर्ट -फेफाना

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6-7 जाक्वा दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. कृष्णलाल पुत्र रामजस जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
वादी

बनाम

1. बिशनाराम पुत्र हरिराम जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. जयलाल पुत्र हरिराम जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
3. दुल्हाराम पुत्र हरिराम जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
4. सुमित्रा देवी पुत्री हरिराम जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

असल प्रतिवादी

6. दलीप पुत्र रामजस जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
7. बलराम पुत्र रामजस जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
8. भूपसिंह पुत्र रामजस जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
9. शिशपाल पुत्र रामजस जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
10. अमीलाल पुत्र भूराराम जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
11. खेताराम पुत्र हंसराम जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
12. दयाराम पुत्र हंसराम जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
13. जगदीश पुत्र हंसराम जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
14. हजारीराम पुत्र हरीराम जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
15. भूपसिंह पुत्र हरीराम जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
16. चिडिया पुत्री हरीराम जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
17. चन्दोदेवी पुत्री हरीराम जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

तरतीबी प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 263 सन 2019 निर्णय दिनांक- 18.10.2021

आज यह वाद प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021 कैम्प कोर्ट में मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी, साक्ष्य सबूतों एवं आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 649/615 की कुल 21.9670 हैक् में वादी व प्रतिवादी संख्या 6 ता 9 बहिब 527-1/3 हिस्सा, एवं प्रतिवादी संख्या 10 अकेला 527-1/3 हिस्सा, एवं प्रतिवादी संख्या 11 ता 13 बहिब 527-1/3 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 एव तरतीबी प्रतिवादी संख्या 14 ता 17 बहिब 156-1/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलगन 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 18.10.2021 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021 में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
उपखण्ड अधिकारी
नोहर (हनुमानगढ)
जिला नोहर

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष- 2021
कैम्प कोर्ट- फेफाना